आयुष नीति प्रारूप पर सुझाव आमन्त्रित

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा पद्धतियों के समुचित एवं सुनियोजित विकास हेतु ''राजस्थान आयुष नीति–2015'' बनाया जाना प्रस्तावित है । विभाग द्वारा ''आयुष नीति'' का प्रारूप तैयार किया गया है, जिस पर सभी आयुष चिकित्सकों, शिक्षाविदों एवं आयुष पद्धतियों में रूचि रखने वाले प्रबुद्धजनों से लिखित में दिनांक–25–12–2014 तक सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं । अपने लिखित सुझाव निम्नलिखित पते पर भिजवाये जा सकते हैं –

डाक का पता

सांख्यिकी अधिकारी,
निदेशालय, आयुर्वेद विभाग,
अशोक मार्ग, लोहागल रोड,
अजमेर (राजस्थान)

निम्नलिखित ई–मेल पर भी भिजवाये जा सकते हैं –

E-mail

sodirayurvedajmer2014@gmail.com

आयुष नीति का प्रारूप

राजस्थान में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की समृद्ध एवं गौरवशाली परम्परा रही है, जिसे राजस्थान के गठन के बाद भी तत्कालीन शासन द्वारा निरन्तर बनाये रखा है । शासन द्वारा आयुष पद्धतियों को उचित संरक्षण प्रदान कर निरन्तर विकसित किया है, जिसके कारण आज पूरे देश में आयुष का सबसे बडा आधारभूत ढांचा राजस्थान में विद्यमान है । इन चिकित्सा पद्धतियों के सुनियोजित विकास के लिये आयुष नीति बनाया जाना समसामयिक आवश्यकता है, इस हेतु शासन स्तर पर आयुष नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में की गयी पहल एक सार्थक कदम है ।

आयुष नीति के उद्देश्य

1. जनसामान्य को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्द्धन एवं रोगोपचार हेतु गुणात्मक सेवाएं प्रदान करना ।

2. आयुष चिकित्सा पद्धति के शिक्षक एवं चिकित्सकों का गुणात्मक उन्नयन करना।
3. आयुष चिकित्सा पद्धति की सस्ती एवं प्रभावी औषधियॉ निर्मित करवाना ।
4. आयुष औषधि निर्माण में काम आने वाली मानक के अनुरूप आवश्यक जडीबूटियों का उत्पादन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करवाना ।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं मौसमी बीमारियों में आयुष पद्धति के आधारभूत ढांचे एवं मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग करना ।
6. विशेषतः जीवनशैलीजनित रोगों एवं जीर्ण रोगों के निवारण हेतु आयुष चिकित्सा पद्धति में शोध कार्य करवाना ।
7. आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना ।

कार्य योजना –

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार नीति/कार्ययोजना बनाया जाना प्रस्तावित है:–

(1) जनसामान्य को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्द्धन एवं रोगोपचार हेतु गुणात्मक सेवाएं प्रदान करना –

राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत आयुर्वेद के 18 जिला चिकित्सालय, 100 चिकित्सालय, 3577 औषधालय एवं 7 मोबाईल यूनिट्स के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । चिकित्सालयों/औषधालयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को समसामयिक तथा जनआवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है । इस हेतु निम्नानुसार विभिन्न बिन्दुओं के लिये मापदण्ड/नीति निर्धारण नितान्त आवश्यक है :–

- औषधालय/चिकित्सालय की आवश्यकता एवं स्थान का निर्धारण
- औषधालय/चिकित्सालय के लिये आवश्यक मानक यथा–भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टाफ एवं औषधियों का निर्धारण
- औषधालय/चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं का निर्धारण
- औषधालय/चिकित्सालय में विशेषज्ञ सेवाओं की स्थापना का निर्धारण
- स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कार्ययोजनाओं का निर्धारण

(2) आयुष चिकित्सा पद्धति के शिक्षण एवं चिकित्सकों का गुणात्मक उन्नयन करना –

आयुष चिकित्सा पद्धति के कुशल शिक्षक, चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मी तैयार करने हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं । विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं के गुणात्मक विकास तथा शोध एवं विभागीय कार्यों

में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु निम्नानुसार विभिन्न बिन्दुओं के लिये मापदण्ड/नीति निर्धारण नितान्त आवश्यक है :–

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शोध कार्य को बढावा देना
- आयुष पद्धतियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन सिद्धान्तों का निर्धारण कर स्कूल/कॉलेज पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाया जाना
- पुरानी पाण्डुलिपियों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर उपयोगी अंशों का प्रकाशन करवाना
- परम्परागत चिकित्सा कार्य के जानकार गुणीजनों के कार्यों से सम्बन्धित जानकारियों का एकत्रिकरण एवं प्रकाशन
- महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता एवं स्थान का निर्धारण
- महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये निर्धारित मानक यथा–भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टाफ आदि की पालना सुनिश्चित कराना

(3) आयुष चिकित्सा पद्धति की सस्ती एवं प्रभावी औषधियॉ निर्मित करवाना –

राज्य में आयुर्वेद की 4 राजकीय रसायनशालाएं एवं 365 निजी क्षेत्र में रसायनशालाएं संचालित हैं । इन रसायनशालाओं के माध्यम से सस्ती एवं प्रभावी औषधियों के निर्माण हेतु निम्नानुसार विभिन्न बिन्दुओं के लिये मापदण्ड/नीति निर्धारण नितान्त आवश्यक है :–

- रसायनशालाओं का आधुनिकीकरण कर उत्पादन क्षमता बढाना
- निर्मित औषधियों की पैकेजिंग प्रणाली में आवश्यक सुधार करना
- एकल औषधियों के निर्माण को बढावा देना
- अनुसन्धानित आवश्यक औषधियों का निर्माण करवाया जाना
- रसायनशालाओं के लिये पृथक् केडर स्ट्रेन्थ बनाना

(4) आयुष औषधि निर्माण में काम आने वाली मानक के अनुरूप आवश्यक जडीबूटियों का उत्पादन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करवाना –

आयुर्वेद औषधि निर्माण के लिये जडी बूटियॉ (वनौषधि) मुख्य स्त्रोत है । इन वनौषधियों की उपलब्धता को बनाये रखने के लिये इनका पर्याप्त संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना सामयिक आवश्यकता है । यह कार्य राज्य औषध पादप मण्डल द्वारा

किया जा रहा है, जिसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाकर अधिकाधिक लोगों को इस कार्य से जोडा जाना अपेक्षित है । विभागान्तर्गत 16 स्थानों पर वनौषधि उद्यान हेतु भूमि उपलब्ध है । इस भूमि पर वनौषधि उद्यान विकसित किया जाना सरकार की प्राथमिकता भी है । इसके लिये कार्ययोजना/नीति बनाया जाना अपेक्षित है ।

(5) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं मौसमी बीमारियों में आयुष पद्धति के आधारभूत ढांचे एवं मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग करना :– राज्य में आयुर्वेद के 10500, होम्योपैथी के ....., तथा यूनानी के ..... चिकित्सक पंजीकृत हैं तथा लगभग 8000 नर्स–कम्पाउण्डर उपलब्ध हैं, जो कि राज्य सेवा में अथवा निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । उपलब्ध मानव संसाधन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मौसमी बीमारियों में किस प्रकार अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, इस हेतु कार्ययोजना/नीति बनाया जाना अपेक्षित है ।

(6) विशेषतः जीवनशैलीजनित रोगों एवं जीर्ण रोगों के निवारण हेतु आयुष चिकित्सा पद्धति में शोध कार्य करवाना – जीवनशैलीजनित असंक्रामक तथा जीर्ण रोगों में आयुष चिकित्सा पद्धति प्रतिषेधात्मक एवं उपचारात्मक प्रभावी योगदान कर सकता है । इस हेतु अपेक्षित प्रोटोकोल का निर्धारण तथा शोधकार्य हेतु विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण कर कार्ययोजना बनाया जाना आवश्यक है ।

(7) आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना – आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वर्णित स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्द्धन एवं उपचार विधियों की उपयोगी जानकारी जनसामान्य को प्रदान करने हेतु विषयवस्तु, सामग्री एवं माध्यम का निर्धारण कर कार्ययोजना बनाया जाना अपेक्षित है ।

इस नीति निर्माण हेतु राज्य सरकार स्तर पर उच्च तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है । गठित समिति अलग–अलग विषयों के अनुरूप विशेषज्ञों की पृथक्–पृथक् कोर समिति बनाकर उस समिति से अलग–अलग विषयों पर विस्तृत नीति एवं कार्ययोजना प्राप्त करके उसे समन्वित कर पूर्ण नीति तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।